रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2019/माघ 19, 1940
No. 654] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2019/MAGHA 19, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

का.आ. 772(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6घघघ के उपनियम(4) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 43 की उपधारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ड.) की व्याख्या 1 के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के प्रयोजन हेतु एतदद्वारा डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, **मैसर्स बी.एस.ई. लि. मुम्बई (पैन: एएसीसीबी6672एल) दिनांक 01.10.2018(कमॉडिटी डेरिवेटिव्स सेंगमेंट में ट्रेडिंग शुरू होने की तारीख) से 'मान्यताप्राप्त संघ' के रूप में अधिसूचित करती है**, नामत:

(i) एक्सचेंज के पास, डेरिवेटिवों के संबंध में, अग्रवर्ती संविदा (नियमन) अधिनियम (1952 का 74) (दिनांक 24.09 .2015 को राजपत्रित अधिसूचना सं. का आ. 2630(अ) के तहत भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के साथ विलीन) के तहत स्थापित अग्रवर्ती बाजार आयोग का अनुमोदन होना चाहिए तथा इसके द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों अथवा शर्तों के अनुसार कार्य करेगा; अथवा,

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के ब्यौरे (एकल पहचान संख्या तथा पैन सहित) विधिवत रूप से रिकार्ड किए गए हैं तथा अपने डाटाबेस में स्टोर किए गए हैं; अथवा

(iii) यह अपने सिस्टम पर सात वर्षों की अवधि के लिए सभी संव्यवहारों (डेरिवेटिव मार्केट के संबंध में) का पूर्ण लेखा परीक्षा बनाए रखेगा; अथवा

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि एक बार पंजीकृत संव्यवहारों (डेरिवेटिव मार्केट के संबंध में) को हटाया नहीं जाए;

(v) यह सुनिश्चित करेगा कि एकबार सिस्टम में पंजीकृत होने पर संव्यवहार (डेरिवेटिव मार्केट के संबंध में) वास्तविक त्रुटि होने पर ही संशोधित किए जाएं और जिसे संशोधित किया गया है, और संशोधित किए गए सभी पंजीकृत संव्यवहारों (डेरिवेटिव बाजार के संबंध में) का ब्यौरा रखा जाए और फार्म संख्या 3 ख ग में एक मासिक विवरणी, आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं अपराधिक जांच), नई दिल्ली को ऐसी विवरणी से संबंधित प्रत्येक माह के अंतिम दिन के पश्चात् 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

2. यह अधिसूचना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए अनुमोदन को वापिस नहीं लिये जाने अथवा समाप्त हो जाने तक या, केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 घघघ के उपनियम (5) के अनुसार, जो भी पहले हो, अधिसूचना रद्द हो जाने तक जो भी पहले हो, प्रवत्त रहेगी।

[अधिसूचना सं. 8/2019/फा. सं. 225/344/2018-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव (आईटीए- II), सीबीडीटी